

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/एफ 3-2 /09/50-2 2F

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2009

पति,

आयुक्त,
महिला एवं बाल विकास,
संघालनालय, भोपाल

विषय :- समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण आहार की मापदण्ड एवं दरें पुनरीक्षित करने बाबत।

—0—


भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.14-1/2008-CD-1 दिनांक 18.12.2008 एवं F.No.3-9/2005-NB (Tech/Val/II) दिनांक 24-02-2009 के परिपालन में समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु जारी विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-23/05/50-2(ख) दिनांक 09.09.2005 द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दरों का पुनरीक्षित करते हुए दिनांक 01.03.2009 से प्रति हितग्राही प्रतिदिन निम्नानुसार मापदण्ड एवं दरें निर्धारित की जाती है :-

हितग्राही	पूर्व में लागू दर	01.03.2009 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराये जाने वाले प्रोटीन एवं कैलोरी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के सामान्य बच्चे	2.00 रु. प्रति बच्चा प्रतिदिन	4.00 रु. प्रतिहितग्राही प्रतिदिन	12-15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी
06 माह से 06 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	2.70 रु. प्रति बच्चा प्रतिदिन	6.00 रु. प्रतिहितग्राही प्रतिदिन	20-25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी

गर्भवती माता/घात्री माता एवं किशोरी बालिका	2.30 रु. प्रति हितग्राही प्रतिदिन	5.00 रु. प्रतिहितग्राही प्रतिदिन	18-20 ग्राम प्रोटीन एवं 600 कैलोरी
---	--	--	---------------------------------------

पूरक पोषण आहार प्रदाय व्यवस्था के संबंध में विस्तृत आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अनुराग सिंह)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


महिला एवं बाल विकास विभाग

प. क्रमांक/एफ 3-2 /09/50-2 PF

पतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भोपाल
- से और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2009



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग